"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 19, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री सरजियस मिंज, भा.प्र.से. (1978) अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं विकास आयुक्त एवं महानिदेशक, राज्य प्रशासन अकादमी एवं अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग को केवल अतिरिक्त मुख्य सचिव वाणिज्य तथा उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री रमेश सिन्हा, भा.प्र.से. (1982) आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, श्रम के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

3. श्री एन. के. असवाल, भा.प्र.से. (1983) प्रमुख सचिव, गृह, जेल, परिवहन विभाग एवं परिवहन आयुक्त को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

4. श्री एम. के. राऊत, भा.प्र.से. (1984) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, उच्च शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा को केवल प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा के प्रभार से मुक्त करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

5. श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. (1987) सचिव, जल संसाधन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें आयुक्त, उच्च शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

6. श्री आर. पी. मण्डल, भा.प्र.से. (1987) सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग को केवल सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, नगरीय विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

7. श्री जवाहर श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1988) सचिव, महामहिम राज्यपाल एवं सचिव, नगरीय विकास तथा संसदीय कार्य विभाग को केवल सचिव, नगरीय विकास विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

8. श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से. (1991) सचिव, वित्त विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, विमानन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

9. श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1992) सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें आयुक्त, उद्योग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

10. डॉ. बी. एस. अनन्त, भा.प्र.से. (1993) आयुक्त, सह-संचालक, पंचायत एवं समाज सेवाएं तथा सचिव, वन विभाग को केवल आयुक्त, सह-संचालक, पंचायत एवं समाज सेवाएं के प्रभार से मुक्त करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

11. श्री मुनीश कुमार त्यागी, भा.प्र.से. (1997) विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को केवल विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश के प्रभार से मुक्त करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, मुख्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

12. श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002) आयुक्त, श्रम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, पंचायत एवं समाज सेवाएं के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्रमांक ई-1-01/2010/एक/2.—श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.से. (1992) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—डॉ. दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, भा.प्र.से. (1991) सचिव, सहकारिता एवं गृह विभाग तथा पंजीयक, सहकारी संस्थायें को केवल सचिव, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1992) सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री अमृत कुमार खलखो, भा.प्र.से. (2002) उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पंजीयक, सहकारी संस्थायें के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री खलखो द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत् अधिसमय वेतनमान का संवर्गीय पद, पंजीयक, सहकारी संस्थायें के पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्रमांक ई-1-1/2010/एक/2.—श्री पी. सी. मिश्रा, भा.व.से., सचिव, राज्य योजना मण्डल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना विभाग घोषित किया जाता है.

2. श्री पी.सी. मिश्रा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से. (सीजी:1991) सचिव, वित्त विभाग, आयुक्त-सह-संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, विमानन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग केवल सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्रमांक ई-01-18/2008/एक/2.—श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से. (1977), प्रमुख सचिव, वन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुये अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री नारायण सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-2007 के नियम-9(1) के तहत अपर मुख्य सचिव के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II-ए में सम्मिलित भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/1/2.—श्री बी. एल. तिवारी, भा.प्र.से. (1996), संचालक, भू-अभिलेख को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री तिवारी, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री एस.के. कुजूर, भा.प्र.से. (1986), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ. ग. एवं पदेन प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, प्रमुख सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त एवं आयुक्त, मुद्रण एवं लेखन सामग्री केवल आयुक्त, मुद्रण एवं लेखन सामग्री के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्रमांक 12593/3087/21-ब/छ.ग./2010.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती रंजना दत्ता, अधिवक्ता, कोरबा जिला-कोरबा को आदेश जारी होने के दिनांक से पुन: तीन वर्ष की कालावधि हेतु कोरबा जिले के लिये शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्रमांक 12591/3087/21-ब/छ.ग./2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती रंजना दत्ता, अधिवक्ता, कोरबा, जिला-कोरबा को आदेश जारी होने के दिनांक से पुन: तीन वर्ष की कालावधि हेतु जिला कोरबा लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्रमांक 12598/3086/21-ब/छ.ग./2010.—राज्य शासन, द्वारा श्री मंजूल श्याम सिन्हा, नोटरी, सरगुजा, जिला-सरगुजा (अंबिकापुर) (छ.ग.) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्रमांक 12600/3086/21-ब/छ.ग./2010.—राज्य शासन, द्वारा श्री शिवप्रसाद गुप्ता, नोटरी, सरगुजा, जिला-सरगुजा (अंबिकापुर) (छ.ग.) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-3-77/रा-2/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा शासकीय प्रेस रायपुर एवं राजनांदगांव के उपयोग हेतु कुल रुपये 33.00 लाख

(रुपये तैंतीस लाख) मात्र के निम्न नवीन मशीनें एवं उपकरण का क्रय नियमानुसार प्रक्रिया अपना कर, क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	शासकीय प्रेस		मशीन/उपकरण	मात्रा	कुल व्यय (लाख रुपये में)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	1.	पावर स्टिचिंग मशीन (50 पेज से 500 पेज तक)	02	2.00
		2.	सेमी आटोमेटिक कटिंग मशीन 36" (सिंगल साईट कटिंग)	01	9.00
		3.	बुक प्रेस मशीन A/3 साईज	01	0.50
2.	राजनांदगांव	1.	डिजिटल मल्टीकलर प्रिंटिंग मशीन A/3 साईज	01	20.00
		2.	प्लेट ग्रेनिंग मशीन (लं. × चौ.-80" × 100")	01	1.50
				कुल योग	**33.00**

2. उपरोक्त व्यय मांग संख्या-09-दो-पूंजी अनुभाग-4058-लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजी परिव्यय-103-3427-28-मशीनें और उपकरण-006-अन्य मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.

3. उपरोक्त क्रय की सहमति वित्त विभाग यू.ओ. क्रमांक 479/CN/25908/ब-5/वित्त/चार/2010, दिनांक 20-10-2010 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भगवान सिंह कुशवाह, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्रमांक/एफ 1/03/दो गृह/भापुसे/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विश्वरंजन, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ रायपुर को गृह नगर पटना जाने हेतु दिनांक 15-11-2010 से दिनांक 04-12-2010 तक कुल 20 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 14-11-2010 एवं 05-12-2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री विश्वरंजन, भापुसे के उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री रामनिवास, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छसबल/नक्सल विरोधी संयुक्त अभियान, पुलिस मुख्यालय रायपुर को सौंपा जाता है.

3. श्री विश्वरंजन, भापुसे, को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री विश्वरंजन, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वरंजन, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एच. सिद्दिकी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

रा. प्र. क्र.-03अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	लोहारीडीह प. ह. नं.- 47	3.802	कार्यप्रालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	लोहारीडीह जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बोड़ला के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

रा. प्र. क्र.-02अ/82वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	गिधनखार प. ह. नं.- 47	3.214	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	लोहारीडीह जलाशय निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बोड़ला के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्रमांक/16801/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-सिलादेही, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-217.602 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.206
1/2	0.235
2	0.032
3/1, 4/2.	0.251
4/1	0.470
5/1	0.235
5/2	0.393
5/3	0.299
5/4	0.231
6/1	0.149
7/1	0.040
7/2	0.142
8	0.190
9/1	0.121
9/2	0.045
9/3	0.162
9/4	0.077
9/5	0.158
9/6	0.085
9/7	0.081
10/1	0.202
10/2	0.134
10/3	0.016
10/5	0.012
11/1	0.150
11/2	0.089
12/1	0.049
13/1	0.081
13/2	0.020
14/1	0.053
14/2	0.032
15/1	0.190
16/1 क	0.182
16/1 ख	0.401
16/1 ग	0.263
16/2	0.202
16/3	0.283
17/1, 17/2	0.352
18/1	0.186
18/2	0.186
19	0.073
20	0.384
21/1	0.324
21/2, 22	0.263
23	0.182
24/1	0.057
24/2	0.053
24/3	0.105
25	0.316
26	0.214
27	0.344
28	0.259
29	0.275
30	0.255
31	0.360
32	0.073
33	0.065
34	0.073
35/1 क/1	0.214
35/1 क/2	0.049
35/1 ख	0.182
35/1 ग	0.263
35/2 क	0.551
35/2 ख	0.235
36/1	0.271
36/2	0.271

(1)	(2)
37	0.672
38	0.206
39/1	0.142
39/2	0.069
40/1	0.162
40/2, 41, 42	0.235
43	0.105
44	0.202
45/1 क	0.081
45/1 ख	0.081
45/2 क, 45/2 ख	0.146
46	0.113
47	0.194
48/1	0.170
48/2	0.182
49/1	0.170
50/1	0.202
50/2	0.202
51	0.178
52	0.121
53/1	0.146
53/2	0.077
54	0.227
55	0.227
56/1	0.178
56/2	0.186
57	0.186
58	0.522
59/1	0.214
59/2	0.219
60/1	0.129
60/2	0.129
61	0.113
62	0.117
63/1	0.190
63/2	0.190
64/1	0.134
64/2	0.129
64/3	0.129
65	0.073
66	0.097
67	0.040
68	0.049
69	0.223
70/1, 71/1	0.077
71/2, 72/1	0.061
72/2	0.134
73/1	0.129
73/2 क, 77	0.202
73/2 ख	0.024
73/3	0.053
74	0.154
75/1	0.073
75/2	0.077
76	0.142
78	0.170
79/1	0.085
80/1	0.138
81	0.053
82/1	0.093
82/2	0.113
83/1	0.097
83/2	0.040
84/1	0.105
84/2, 85	0.125
86/1	0.251
87/1	0.178
87/2	0.186
88	0.405
89	0.243
90/1	0.190
90/2	0.194
91/1	0.065
91/2	0.223
91/3	0.065
92	0.316
93	0.267
94/1	0.085
94/2	0.085
95	0.097
96/1	0.223
96/2	0.219
97/1	0.190
97/2	0.040
98, 113, 114	0.502
99	0.121
100	0.142
101	0.158
102	0.057
103	0.073
104	0.154
105/1	0.239

(1)	(2)	(1)	(2)
106/1	0.036	134	0.162
107/1	0.057	135/1	0.138
108/1	0.085	135/2	0.142
108/2	0.069	136	0.105
109/1	0.073	137	0.105
110	0.117	138	0.368
111	0.121	139	0.259
112/1, 112/2	0.097	140	0.121
112/3	0.032	141	0.162
115	0.206	142/1	0.154
116	0.267	142/2	0.158
117/1	0.089	143/1	0.121
117/2	0.085	143/2	0.121
118/1	0.146	143/3	0.121
118/2	0.150	144	0.142
119	0.227	145	0.267
120/1	0.158	146	0.170
121	0.182	147/1	0.081
122	0.129	147/2	0.263
123/1	0.061	147/3	0.081
123/2	0.061	148, 149	0.186
123/3	0.061	150/1	0.178
124/1	0.093	151/1	0.336
124/2	0.045	152	0.085
124/3	0.045	153	0.259
125/1	0.109	154	0.231
125/2	0.109	155	0.097
126/1	0.259	156/1	0.154
126/2	0.129	157/1	0.028
126/3	0.129	157/2	0.085
126/4	0.129	157/3	0.032
126/5	0.129	158/1	0.113
126/6	0.129	159/1	0.081
126/7	0.134	160/1	0.028
127	0.154	160/2	0.024
128	0.219	161/1	0.194
129	0.219	161/2	0.097
130/1	0.178	161/3	0.093
130/2	0.182	162/1	0.121
131/1	0.235	162/2	0.125
131/2	0.235	163/1	0.073
132/1	0.174	163/2	0.045
132/2	0.174	163/3	0.093
132/3	0.170	163/4	0.069
132/4	0.170	164	0.085
133	0.279	165	0.081

(1)	(2)	(1)	(2)
166	0.053	192/1	0.150
167/1	0.235	193/1	0.081
167/2	0.235	193/2	0.089
167/3	0.081	194/1	0.093
168/1	0.154	194/2	0.117
168/2	0.134	195/1	0.146
168/3	0.081	195/2	0.219
169/1	0.097	195/3	0.356
169/2	0.194	195/4	0.069
169/3	0.097	196	0.206
170/1, 171/1	0.113	197	0.085
172/1	0.081	198	0.012
173	0.263	199	0.198
174/1	0.065	200	0.057
175/1 क	0.101	201/1	0.065
175/1 ख	0.101	202/1	0.089
175/2	0.085	203/1	0.069
175/3	0.073	204/1	0.081
175/4	0.012	205, 206	0.162
175/5	0.061	207	0.138
175/6	0.061	208, 209	0.105
175/7	0.053	210	0.036
176	0.146	211/1	0.214
177	0.121	211/2	0.142
178/1	0.049	211/3	0.040
178/2	0.049	211/4	0.121
179/1	0.279	212/1	0.158
179/2	0.105	213/1	0.186
180	0.121	214/1	0.053
181/1	0.121	214/2	0.057
181/2	0.081	215	0.101
182	0.028	216/1, 217	0.227
183	0.032	218	0.611
184	0.077	219/1	0.186
185	0.081	219/2	0.304
186	0.134	219/3	0.202
187/1	0.061	220/1	0.178
187/2	0.053	220/2	0.105
188/1	0.121	221/1	0.255
188/2	0.186	221/2	0.251
189/1	0.053	222	0.081
189/2	0.053	223	0.053
189/3	0.182	224/1	0.020
189/4	0.223	224/2	0.069
190/1	0.360	224/3	0.113
191/1	0.065	225	0.053

(1)	(2)	(1)	(2)
226	0.069	245/2	0.089
227/1	0.097	246	0.243
227/2 क	0.069	247/1	0.109
227/2 ख	0.032	247/2	0.113
227/3	0.101	248	0.202
228	0.049	249	0.085
229, 231/2	0.745	250	0.089
230/1	0.093	251	0.049
230/2	0.093	252	0.065
231/1	0.121	253	0.053
231/3	0.243	254/1	0.247
232/1 क/1	0.186	254/2	0.113
232/1 क/2	0.186	254/3	0.243
232/2	0.101	254/4	0.113
232/3	0.121	255	0.595
232/4	0.065	256	0.219
232/5	0.101	257	0.308
233/1	0.138	258	0.105
233/2	0.028	259/1	0.053
233/3	0.121	259/2	0.166
233/4 क	0.093	260/1	0.166
233/4 ख	0.093	260/2	0.113
233/5	0.057	261/1	0.105
233/6	0.138	261/2	0.146
234	0.097	262/1	0.105
235	0.105	262/2	0.105
236	0.170	263	0.065
237	0.093	264/1, 265	0.660
238/1	0.073	264/2	0.032
238/2	0.020	266	0.129
239	0.089	267/1	0.045
240/1 क	0.073	267/2	0.049
240/1 ख	0.101	268/1	0.129
240/2	0.142	268/2	0.117
241/1 क	0.121	269	0.105
241/1 ख	0.198	270/1	0.162
241/1 ग	0.283	270/2	0.158
241/2	0.142	271	0.198
241/3	0.101	272	0.134
242/1	0.032	273/1	0.045
242/2	0.065	273/2	0.138
242/3	0.069	274	0.121
242/4	0.032	275	0.077
243	0.045	276	0.121
244	0.368	277/1	0.065
245/1	0.146	277/2	0.065

(1)	(2)
278/1, 278/2	0.146
279	0.194
280/1	0.304
280/2	0.304
281/1	0.397
282/1	0.385
283/1	0.134
283/2	0.166
284/1	0.214
284/2	0.117
284/3	0.121
285/1	0.012
285/2	0.012
286/1	0.036
286/2	0.049
287/1	0.194
288	0.202
289	0.085
290	0.182
291	0.348
292/1	0.036
292/2	0.121
292/3	0.061
292/4	0.045
293/1	0.121
294/1	0.271
294/2	0.121
294/3	0.121
295/1	0.170
295/2	0.142
296/1	0.154
296/2	0.150
297/1 क	0.162
297/1 ख	0.081
297/1 ग	0.081
297/2	0.069
298	0.486
299	0.251
300	0.198
301/1	0.093
301/2, 301/3	0.186
301/4	0.093
301/5	0.097
302	0.526
303	0.049
304	0.198
305	0.129
306/1	0.214
306/2	0.429
307/1	0.045
307/2	0.040
308	0.089
309	0.049
310	0.247
311/1	0.121
311/2	0.121
312/1	0.170
312/2	0.170
313	0.182
314/1	0.101
314/2	0.101
333/1	0.049
333/2	0.049
333/3	0.049
334	0.186
335/1	0.243
336/1	0.142
344/1	0.202
344/2, 344/3	0.202
348	0.312
349/1	0.154
349/2	0.158
350	0.559
351/1 क	0.202
351/1 ख	0.129
351/2 क	0.223
351/2 ख	0.109
352/1	0.433
353/1	0.291
353/2	0.065
353/3	0.113
354/1 क	0.150
354/1 ख	0.129
354/2	0.089
354/3	0.065
354/4	0.065
354/5	0.065
355/1	0.077
356	0.089
357	0.138
358/1	0.283
358/2	0.166
358/3	0.166

(1)	(2)
359/1	0.089
360/1	0.154
361/1	0.105
361/2	0.134
362	0.210
363/1	0.089
363/2	0.089
363/1	0.202
364/2	0.259
364/3	0.202
365/1	0.142
366/1	0.170
367	0.170
368/1	0.129
368/2	0.129
368/3	0.129
369/1	0.154
369/2	0.154
370/1	0.182
370/2	0.178
371	0.040
372	0.134
373	0.231
374/1	0.121
374/2	0.121
375/1	0.125
375/2	0.125
376/1	0.194
376/2	0.182
376/3	0.109
376/4	0.101
377/1	0.170
378	0.283
379	0.138
380/1	0.049
380/2	0.093
380/3	0.049
381/1	0.142
381/2	0.142
381/3	0.146
382/1	0.134
382/2	0.129
383	0.154
384	0.186
385/1	0.065
385/2	0.061
385/3	0.121

(1)	(2)
385/4	0.061
385/5	0.057
386	0.380
387/1	0.049
387/2	0.089
388/1	0.040
388/2	0.117
389/1	0.105
389/2	0.097
389/3	0.210
389/4	0.093
389/5	0.105
390	0.182
391/1	0.166
391/2	0.223
392/1	0.101
392/2	0.162
393	0.267
394	0.243
395	0.291
396	0.154
397	0.287
398	0.117
399	0.125
400/1	0.146
400/2	0.231
400/3	0.340
401	0.032
402	0.291
403	0.142
404/1	0.081
404/2	0.081
405	0.032
406	0.081
407	0.053
408	0.053
409	0.291
410/1	0.065
410/2	0.162
411	0.113
412	0.057
413	0.036
414/1	0.146
414/2	0.150
415/1	0.049
415/2	0.045

(1)	(2)	(1)	(2)
415/3	0.093	432/2	0.089
416/1	0.081	433	0.219
416/2	0.243	434/1	0.024
416/3	0.182	434/2	0.024
416/4	0.267	434/3	0.117
416/5	0.182	435/1	0.150
417/1	0.170	435/2	0.073
417/2	0.170	435/3	0.077
417/3	0.061	436	0.121
417/4	0.275	437/1	0.138
418/1	0.012	437/2	0.065
418/2 क	0.247	437/3	0.065
418/2 ख	0.368	538/1	0.271
418/3	0.089	438/2	0.271
418/4	0.206	439/1	0.134
419	0.024	439/2	0.263
420/1	0.121	439/3	0.129
420/2	0.105	440/1	0.081
420/3	0.166	440/2	0.085
420/4	0.101	441	0.142
420/5	0.162	442/1	0.049
421	0.081	442/2	0.053
422/1	0.121	442/3, 442/4	0.105
422/2	0.117	443	0.194
423	0.093	444	0.121
424	0.109	445/1	0.283
425/1	0.020	445/2	0.121
425/2	0.049	446/1	0.235
426	0.097	446/2	0.186
427	0.089	447/1	0.069
428/1	0.134	447/2	0.036
428/2	0.121	447/3	0.036
428/3	0.121	448/1	0.073
428/4	0.065	448/2	0.073
429/1	0.105	449	0.150
429/2	0.299	450	0.109
429/3	0.138	451/1	0.138
429/4	0.061	451/2	0.069
430/1	0.085	451/3	0.069
430/2	0.202	452/1	0.073
430/3	0.093	452/2	0.069
430/4	0.117	452/3	0.142
430/5	0.077	453/1	0.206
430/6	0.081	453/2	0.210
430/7	0.356	454	0.109
432/1	0.036	455	0.595

(1)	(2)	(1)	(2)
456/1	0.198	482/1	0.162
456/2	0.202	482/2	0.178
457/1	0.105	483	0.125
457/2	0.138	484	0.194
457/3	0.105	485/1	0.061
458/1	0.049	485/2	0.206
458/2	0.016	486	0.138
459/1	0.045	487	0.101
459/2	0.045	488	0.202
460	0.121	489	0.032
461	0.162	490	0.097
462	0.138	491	0.255
463	0.117	492/1	0.053
464	0.142	492/2	0.053
465/1	0.061	493/1	0.308
465/2	0.061	493/2	0.223
466	0.113	493/3	0.312
467/1	0.166	493/4	0.182
467/2	0.121	493/5	0.113
468	0.036	493/6	0.113
469	0.036	494	0.085
470/1	0.113	495/1	0.101
470/2	0.081	495/2	0.101
470/3	0.069	496	0.219
471/1	1.165	497	0.878
471/2	0.182	498	0.263
471/3	0.162	499	0.032
471/4	0.081	500	0.219
471/5	0.202	501/1	0.178
472	0.206	501/2	0.085
473/1 क	0.093	501/3	0.089
473/1 ख	0.097	502/1 क	0.332
473/2	0.097	502/1 ख	0.223
474/1	0.178	502/2	0.429
474/2	0.089	503	0.138
475	0.214	504	0.219
476/1	0.049	505/1	0.077
476/2	0.065	505/2	0.077
476/3	0.065	506	0.348
466/4	0.049	507	0.308
477/1	0.057	508/1	0.061
477/2	0.057	508/2	0.409
478	0.166	508/3	0.061
479	0.081	508/4	0.073
480	0.134	508/5	0.134
481	0.138	508/6	0.142

(1)	(2)	(1)	(2)
508/7	0.057	537/1	0.089
509/1	0.057	537/2	0.162
509/2	0.057	537/3	0.081
510/1	0.162	537/4	0.089
510/2	0.166	537/5	0.081
511	0.105	538/1	0.190
512/1	0.073	538/2, 539/1	0.194
512/2	0.049	539/2	0.194
513	0.061	540	0.247
514	0.045	541	0.231
515/1	0.113	542/1	0.202
515/2	0.142	542/2	0.425
515/3	0.162	542/3	0.227
515/4	0.101	543	0.259
516	0.158	544	0.332
517	0.162	545/1	0.547
518/1	0.077	545/2	0.109
518/2	0.065	546	0.134
519	0.081	547	0.134
520	0.065	548/1	0.097
521/1, 522	0.158	548/2	0.097
521/2	0.146	548/3	0.032
523	0.214	548/4	0.097
524	0.105	548/5	0.032
525	0.040	548/6	0.065
526	0.049	548/7	0.162
527	0.109	549	0.057
528	0.081	550/1	0.061
529	0.113	550/2	0.061
530/1 क	0.073	551/1	0.105
530/1 ख	0.113	551/2	0.053
530/2	0.231	551/3	0.049
531	0.154	551/4	0.069
532/1	0.101	551/5	0.049
532/2	0.162	551/6	0.016
532/3	0.154	552/1	0.138
533	0.049	552/2	0.077
534/1	0.186	552/3	0.125
534/2	0.162	553/1	0.138
535/1	0.271	553/2	0.202
535/2	0.267	554	0.413
536/1	0.450	555/1	0.162
536/2	0.202	555/2	0.162
536/3	0.202	556/1	0.223
536/4	0.142	556/2	0.223
536/5	0.121	557	0.336

(1)	(2)	(1)	(2)
558	0.332	576/1	0.162
559	0.121	576/2	0.081
560	0.121	577	0.109
561	0.113	578	0.065
562	0.247	579/1	0.174
563/1	0.263	579/2	0.186
563/2	0.134	580/1	0.324
563/3	0.393	580/2	0.324
564/1	0.231	580/3	0.231
564/2	0.235	581/1	0.251
565/1 क	0.121	581/2	0.223
565/1 ख	0.563	582	0.413
565/1 ग	0.328	583/1 क	0.134
565/2	0.405	583/1 ख	0.186
565/3	0.405	583/2	0.129
565/4	0.202	584/1	0.097
565/5	0.409	584/2	0.101
565/6	0.142	584/3	0.223
565/7	0.190	585, 586	0.283
565/8	0.073	587/1	0.178
566/1 क	0.336	587/2	0.162
566/1 ख	0.158	587/3	0.089
566/1 ग	0.024	587/4	0.089
566/1 घ	0.113	588	0.304
566/2	0.125	589	0.279
566/3	0.162	590/1	0.097
566/4	0.129	590/2	0.101
566/5, 726	0.376	590/3	0.097
567	0.324	591	0.243
568	0.344	592	0.255
569/1	0.150	593	0.134
569/2	0.150	594/1	0.150
570	0.243	594/2	0.150
571/1	0.081	595/1	0.093
571/2	0.182	595/2	0.097
571/3	0.182	596	0.150
572/1	0.134	597/1	0.016
572/2	0.069	597/2	0.202
573/1	0.093	598/1	0.121
573/2	0.061	598/2	0.243
573/3	0.089	599/1	0.729
574/1	0.210	599/2	0.324
574/2	0.105	599/3	0.243
574/3	0.105	599/4	0.206
574/4	0.105	599/5	0.162
575	0.283	599/6	0.206

(1)	(2)	(1)	(2)
599/7	0.105	629/1	0.093
599/8	0.109	629/2	0.089
599/9	0.113	630/1	0.142
600/1	0.190	630/2	0.049
600/2	0.194	631	0.049
601	0.069	632	0.073
602/1	0.036	633/1	0.117
602/2	0.073	633/2	0.283
602/3	0.036	634	0.101
603	0.182	635	0.704
604/1	0.178	636	0.243
604/2	0.182	637/1	0.348
605	0.198	637/2	0.279
606	0.121	637/3	0.113
607	0.575	638/1 क	0.138
608	0.206	638/1 ख	0.275
609	0.352	638/2	0.409
610/1	0.154	639/1	0.765
610/2	0.028	639/2	0.170
611/1 क	0.154	640	0.186
611/1 ख	0.304	641	0.097
611/2	0.243	642	0.113
611/3	0.121	643	0.081
612	0.223	644	0.146
613	0.121	645/1	0.267
614	0.162	645/2 क	0.134
615	0.267	645/2 ख	0.134
616	0.138	645/3	0.121
617	0.121	645/4	0.251
618	0.146	645/5	0.121
619	0.113	646	0.198
620	0.113	647/1 क	0.190
621	0.312	647/1 ख	0.194
622/1	0.077	647/2 क	0.073
622/2	0.061	647/2 ख	0.073
622/3	0.190	648	0.186
622/4	0.069	649/1	0.247
622/5	0.073	649/2	0.202
623	0.065	649/3	0.227
624	0.121	650/1	0.109
625/1	0.198	650/2	0.109
625/2	0.198	651/1	0.121
626	0.474	651/2	0.073
627	0.077	651/3	0.105
628/1	0.113	651/4	0.142
628/2	0.113	651/5	0.069
		652	0.089

(1)	(2)	(1)	(2)
653, 654/2	0.101	1590/1	0.065
654/1	0.101	1590/2	0.065
655	0.186	1591/1	0.259
656	0.348	1591/2	0.081
657/1	0.073	1591/3	0.259
657/2	0.069	1592	0.214
658	0.077	1593/1 क	0.551
659	0.081	1593/1 ख	0.247
660	0.696	1593/1 ग	0.190
661	0.761	1593/2	0.049
662/1	0.328	1593/3 क	0.138
662/2	0.162	1593/3 ख	0.146
662/3	0.166	1593/3 ग	0.158
663/1	0.263	1593/3 घ	0.061
663/2	0.267	1593/4	0.138
664/1	0.093	1593/5	0.008
664/2	0.089	1593/6	0.113
665	0.182	1594	0.526
666/1	0.150	1595/1	0.053
666/2	0.146	1595/2	0.028
667/1 क	0.162	1595/3	0.028
667/1 ख	0.129	1596	0.109
667/2	0.291	1597	0.089
667/3	0.575	1598/1	0.081
667/4	0.154	1598/2	0.040
667/5	0.065	1604/1	0.393
667/6	0.065	1605/1	0.202
668	0.405	1605/2	0.198
669/1	0.093	1606/1	0.174
669/2	0.093	1606/2	0.174
669/3	0.093	1606/3	0.020
720/1	0.016	1606/4	0.028
720/2	0.028	1606/5	0.146
721/1	0.227	1606/6	0.028
721/2	0.214	1606/7	0.028
721/3	0.113	1606/8	0.008
721/4	0.109	1606/9	0.012
722	0.040	1607/1	0.138
723	0.073	1607/2	0.223
724	0.065	1608/1	0.093
725	0.032	1608/2	0.093
727/1	0.174	1609/1	0.235
727/2	0.186	1609/2	0.032
1587	0.263	1610/1	0.138
1588	0.016	1611/1	0.036
1589	0.271	1611/2	0.016

(1)	(2)	(1)	(2)
1611/3	0.040	1640/3	0.182
1612/1	0.040	1641	0.089
1612/2	0.020	1642	0.089
1614/1	0.178	1643	0.166
1614/2	0.170	1644/1	0.105
1615/1	0.206	1644/2	0.231
1616	0.061	1644/3	0.231
1617/1	0.134	1644/4	0.105
1617/2	0.032	1644/5	0.105
1617/3	0.073	1645	0.223
1617/6	0.146	1646/1	0.174
1618/1	0.109	1647	0.291
1619/1	0.016	1648/1	0.061
1620/1	0.020	1648/2	0.105
1620/2	0.045	1648/3	0.065
1621	0.105	1649/1	0.028
1622/1	0.053	1649/2	0.275
1622/2	0.198	1649/3	0.109
1623	0.287	1649/4	0.109
1624	0.291	1650/1	0.206
1625	0.057	1650/2	0.174
1626/1, 1627/1	0.045	1651	0.279
1626/2, 1627/2	0.138	1652/1	0.065
1628	0.081	1653/1	0.020
1629/1	0.170	1654/1	0.036
1629/2	0.166	1654/2	0.389
1630	0.304	1655/1	0.134
1631/1	0.445	1656/1	0.142
1631/2	0.162	1656/2, 1656/5	0.162
1631/3	0.283	1656/3	0.243
1632	0.093	1656/4	0.065
1633/1	0.065	1656/6	0.073
1633/2	0.069	1656/7	0.061
1634	0.142	1656/8	0.073
1635	0.210	1657/1	0.328
1636/1	0.275	1657/2	0.036
1636/2	0.134	1657/3	0.057
1637/1	0.210	1657/4	0.045
1638/1	0.081	1657/5	0.053
1638/2	0.085	1657/7	0.065
1639/1	0.089	1658/1	0.190
1639/2	0.129	1658/2	0.267
1639/3	0.061	1658/3	0.061
1639/4	0.065	1658/4	0.061
1640/1	0.093	1658/5	0.061
1640/2	0.093	1659	0.648

(1)	(2)
1660	0.089
1661	0.332
1662/1	0.121
1662/2 क	0.283
1662/2 ख	0.097
1662/2 ग	0.190
1663	0.081
1664	0.219
1665	0.304
1666/1	0.057
1666/2	0.239
1666/3	0.295
1667	0.247
1668	0.089
1669	0.073
1670/1	0.016
1670/2	0.053
1671	0.081
1672	0.299
1673	0.372
1674	0.336
1675	0.206
1676/1	0.097
1676/2	0.093
1677/1	0.105
1677/2	0.024
1677/3	0.028
1678/1	0.045
1678/2	0.045
1679/1	0.158
1679/2	0.158
1680/1	0.032
1680/2	0.032
1680/3	0.016
1680/4	0.032
1680/5	0.032
1680/6	0.016
1681/1	0.206
1681/2	0.206
1682	0.202
1683	0.174
1684	0.138
1685/1	0.036
1685/2	0.105
1686/1	0.045
1686/2	0.040
1687/1	0.178
1687/2	0.073
1687/3	0.036
1687/4	0.069
1687/5	0.073
1688/1	0.223
1688/2	0.170
1689	0.219
1690/1	0.138
1690/2	0.073
1691	0.045
1692	0.065
1693	0.040
1694	0.020
1695	0.020
1696	0.287
1697/1	0.129
1697/2	0.069
1697/3	0.045
1698/1	0.016
1698/2	0.061
1699	0.045
1700/1	0.085
1700/2	0.081
1701	0.243
1702	0.089
1703/1	0.085
1703/2	0.085
1704	0.065
1705	0.073
1706	0.170
1707/1	0.125
1707/2	0.129
1708	0.194
1709/1	0.166
1709/2	0.024
1709/3	0.024
1710/1	0.158
1710/2	0.154
1711/1	0.097
1711/2	0.089
1712/1	0.121
1712/2	0.065
1713	0.243
1714	0.158
1715	0.129

(1)	(2)	(1)	(2)
1716	0.073	1735	0.040
1717/1 क	0.053	1736/1	0.040
1717/1 ख	0.053	1736/2	0.040
1717/2	0.405	1737/1	0.170
1718/1	0.061	1737/2	0.040
1718/2	0.093	1737/3	0.024
1719	0.129	1738	0.012
1720/1	0.121	1739/1	0.073
1720/2	0.081	1739/2	0.028
1720/3	0.077	1739/3	0.053
1721/1	0.061	1739/4	0.073
1721/2	0.020	1740	0.219
1721/3	0.020	1741/1	0.049
1722	0.036	1741/2	0.049
1723/1	0.085	1742/1	0.628
1723/2	0.101	1742/2, 1742/3	0.219
1724	0.036	1743/1	0.061
1725	0.186	1743/2	0.061
1726/1	0.045	1744	0.138
1726/2	0.045	1745	0.113
1727/1	0.134	1746/1	0.097
1727/2	0.134	1746/2	0.020
1727/3	0.134	1746/3	0.016
1727/4	0.134	1747	0.049
1728/1	0.065	1748	0.073
1728/2	0.125	1749	0.065
1728/3 क	0.016	1750	0.045
1728/3 ख	0.065	1751	0.142
1728/4	0.020	1752	0.065
1728/5	0.045	1753	0.077
1728/6	0.040	1754/1	0.162
1729/1	0.024	1754/2	0.279
1729/2	0.028	1755/1	0.162
1730/1	0.061	1755/2	0.162
1730/2	0.186	1756/1	0.299
1730/3	0.061	1756/2	0.032
1730/4 क	0.093	1757	0.040
1730/4 ख	0.093	1758	0.081
1731/1	0.129	1759	0.077
1731/2	0.129	1760	0.316
1732/1	0.134	1761/1	0.121
1732/2	0.134	1761/2	0.117
1733/1	0.069	1761/3	0.020
1733/2	0.049	1761/4	0.008
1733/3	0.040	1761/5	0.263
1734	0.040	1761/6	0.142

(1)	(2)
1761/7	0.121
1762/1	0.016
1762/2	0.016
1763	0.020
1764/1	0.085
1765/1	0.036
1766/1	0.129
1766/2	0.174
1766/3	0.129
1766/4	0.129
1766/5	0.129
1792	0.016
1793/1	0.073
1793/2	0.121
1793/3	0.121
1793/4	0.194
1794	0.061
1795/1	0.105
1795/2	0.162
1795/3	0.109
1795/4	0.279
1796	0.571
1797	0.089
1798	0.036
1799/1	0.061
1799/2	0.105
1799/3	0.032
1799/4	0.028
1800	0.020
1801/1	0.069
1801/2	0.081
1802/1	0.016
1802/2	0.016
1802/3	0.016
1802/4	0.016
1802/5	0.016
1803/1	0.049
1803/2	0.049
1804	0.069
1805/1	0.028
1805/2	0.028
1806/1	0.053
1806/2	0.053
1807/1	0.081
1807/2	0.057
1864	0.073
1866/1	0.045
1866/2	0.045
1867/1	0.028
1867/2	0.069
1868	0.049
1869/1	0.036
1869/2	0.036
1869/3	0.036
1875	0.129
योग 1504	217.602

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन, 1320 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.